Department of Commercial Tax Government of Jharkhand



DIPP Point No. 223

Question	Remarks
8f. Registration for Professional Tax	Notification no 2499 dated 13/7/15 available
Q: Define clear timelines mandated through	
legislation for approval of complete application	

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग पत्र संख्या- संविका संख्या-वाकर/कम्प्यू/विविध/08/2015-प्रेषक,

निधि खरे

सचिव-सह-आयुक्त।

सेवा में.

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील), सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

झारखण्ड वृतियाँ, व्यापाराँ, आजीविकाओं एवं रांजगाराँ पर कर नियमावली, 2012 विषय:-के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन निबंधन की प्रकिया विहित करने के संबंध में।

विमागीय परिपत्र संख्या- 4354 दिनांक 14.11.2012 प्रसंग:-

महोदय / महोदया.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र के कम में सुचित करना है कि झारखण्ड वृतियाँ, व्यापारों, आजीविकाओं एवं राजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में तथा Ease of Doing Business के उद्धेश्य हेतु वाणिज्य-कर विभाग में झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के अधीन नियोजन / करवाता द्वारा ऑनन्सईन आयेटन समर्पित करने के जपरांत एक दिन की कार्य अवधि में निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 102/JPT 104) निर्गत करन

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन निबंधित व्यवसायियों/कर-दाताओं को प्रदत्त 11 अंकों का Tax Payer's Identification Number (TIN) ही झारखण्ड वृतियाँ, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) प्रदत्त किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 13 अंकों के निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 102) को परिवर्तित कर 11 अंकों के TIN निर्गत किए जाएंगे।

झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 4(3)(c) के अधीन नियोक्ताओं (Employer) को भी 15 अंक के TIN के स्थान पर 11 अंक के TIN निर्गत किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 15 अंकों के निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 104) को परिवर्तित कर 11 अंकों के TIN निर्गत किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर e-governance के उदेश्य से यथाआवश्यक संशोधन / परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन (निधि खरे)

सचिव-सह-आयुक्त।

Timeline for issuance of PT registration certificate



झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग पत्र संख्या- संचिका संख्या-वाकर/कम्प्यू/विविध/09/2015-2499/राँची, दिनांक - 13 7/15 प्रेषक.

निधि खरे

सचिव-सह-आयुक्त।

सेवा में.

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील), सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय:-झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन निबंधन की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

विभागीय परिपत्र संख्या- 4354 दिनांक 14.11.2012 प्रसंग:-

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र के कम में सूचित करना है कि झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में तथा Ease of Doing Business के उद्धेश्य हेत् वाणिज्य-कर विभाग में झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के अधीन नियोक्ता / करदाता द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत एक दिन की कार्य अवधि में निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 102/JPT 104) निर्गत करना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा झारखण्ड मुल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन निबंधित व्यवसायियों / कर-दाताओं को प्रदत्त 11 अंकों का Tax Payer's Identification Number (TIN) ही झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) प्रदत्त किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 13 अंकों के निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 102) को परिवर्तित कर 11 अंकों के TIN निर्गत किए जाएंगे।

झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 4(3)(e) के अधीन नियोक्ताओं (Employer) को भी 15 अंक के TIN के स्थान पर 11 अंक के TIN निर्गत किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 15 अंकों के निबंधन प्रमाण-पत्र (JPT 104) को परिवर्तित कर 11 अंकों के TIN निर्गत किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर e-governance के उदेश्य से यथाआवश्यक संशोधन / परिवर्तन करने हेत् मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

सचिव-सह-आयुक्त।